

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

न्यायालयीन निर्णय के परिपालन में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 1.25 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1.25 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 2

विभागाध्यक्ष कार्यालय के कार्यालयीन उपकरण हेतु ₹ 8.12 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 3

शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा के लिए मशीन एवं उपकरण क्रय हेतु ₹ 97.88 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।